न्यायालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 103/2022

अपीलाण्ट बनाम रेस्पोडेन्ट्स

अजबसिंह पुत्र अचलसिंह
जाति राजपूत, निवासी विरमदेवरा,
तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर

1. किशनाराम पुत्र नरसिंगाराम
2. रामनारायण पुत्र नरसिंगाराम
   (जातियान विश्नोई, निवासी खेतोलाई, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर)
3. जसवन्तसिंह पुत्र संगतसिंह
4. देवीसिंह पुत्र संगतसिंह
5. राधा कंवर पत्नी संगतसिंह
6. सवाईसिंह पुत्र संगतसिंह
   (जातियान राजपूत, निवासी विरमदेवरा, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर)
7. कंवरीदेवी पत्नी रामदीन
8. मोहनलाल पुत्र रामदीन
   (जातियान जाट, निवासी रामदेवरा, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर)
9. शाखा प्रबंधक, एस.बी.आई. शाखा रामदेवरा, तहसील पोकरण (जैसलमेर)
10. तहसीलदार पोकरण (जैसलमेर)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी पोकरण राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या एम 88/2022 दिनांक 09.06.2022

उपस्थित–
1. श्री गुलाबसिंह चम्पावत, वकील अपीलाण्ट
2. श्री लादूराम विश्नोई, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2
3. श्री रघुनाथ विश्नोई, वकील रेस्पो0 संख्या 3, 4 व 6 से 8
4. रेस्पो0 संख्या 5 व 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित
5. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 10

निर्णय

दिनांक 10/7/23

उक्त अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी पोकरण द्वारा राजस्व प्रार्थना

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

पत्र एम 88/2022 अन्तर्गत धारा 128, 129 सपठित धारा 111 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2022 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसील पोकरण (जैसलमेर) स्थित ग्राम विरमदेवरा के खसरा नम्बर 2/5, ख0नं0 2/6 ख0नं0 244/2, ख0नं0 245/2, ख0न0 247/2 एवं ख0नं0 248/2, कुल खसरा 06 कुल रकबा 7.7863 हैक्टेयर (48.02 बीघा) भूमि रेस्पो0 सं0 1 व 2–प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा ख0नं0 246/2 रकबा 1.6026 है0 (9.18 बीघा) भूमि रेस्पो0 सं0 2–रामनारायण की खातेदारी में दर्ज है। रेस्पो0 सं0 1–प्रार्थी–किशनाराम द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि की पैमाईश हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार के आदेश कमांक 2216111209 दिनांक 18.01.2022 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा पैमाईश कर मौका फर्द दिनांक 16.2.22 तैयार की गई। पैमाईश रिपोर्ट अनुसार सीमाज्ञान करवाया गया। मौके पर रूबरू खातेदारान व सेड़ा पडौसियान की मौजूदगी में सीमाज्ञान करने पर पाया कि ख0नं0 9 व 2/143 में ख0नं0 2/6, 247/2 व 248/2 की भूमि आ रही है, उक्त भूमि पर ख0नं0 9 व 2/143 के खातेदारान का कब्जा है। तदउपरांत रेस्पो0 सं0 1 व 2–प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 4.3.22 को अपने खेत खसरान का सीकांकन करवाकर पत्थरगढी करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी पोकरण के सक्षम अन्तर्गत धारा 128, 129 सपठित धारा 111 आरएलआर एक्ट, 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या एम 88/2022 में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2022 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार पोकरण को आदेशित किया कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ग्राम विरमदेवरा के ख0नं0 2/5, 2/6 244/2, 245/2, 247/2 व 248/2 की प्रार्थीगण के व्यय पर मौके पर पत्थरगढ़ी करवाएं/वक्त कार्यवाही उभय पक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। आवश्यक होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस ईमदाद प्राप्त करे। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

बहस सुनी गई। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि रेस्पो0 सं0 1 व 2–किशनाराम व रामनारायण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र यह उल्लेख किया है कि उनकी खातेदारी भूमि के पड़ौसी खातेदार अपीलांट–अजबसिंह का खेत ख0नं0 2/143 एवं ख0नं0 9 उक्त सीमाज्ञान के लिए सहमत नही होने से मौके पर लडाई झगडा होने की पूर्ण संभावना होना बताया है, इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद उन्हें उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया। मातहत अदालत द्वारा अपीलांट को तारीख पेशी दिनांक 31.3.22 का जारी नोटिस उसे व्यक्तिगत तामिल नही हुआ। जो सिविल प्रकिया सहिता के आदेश 5 नियम 17 व 19 के तहत विधि विरूद्व होने के उपरांत प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। उक्त नोटिस/सम्मन के पीछे तामिल कुनिंदा की रिपोर्ट में अपीलांट द्वारा नोटिस लेने से इंकार, इसकी एक प्रति उसके आबाद मकान पर गांव के दो मौतबिरो के सामने चस्पा बता दिया गया। इनमे से एक मौतबिर तो रेस्पो0सं0 1 व 2 के पिता व दूसरे हरिकिशन उसके रिश्तेदार है, इस प्रकार तामिल कुनिंदा द्वारा दो स्वतंत्र मौतबिर नही लिए गये। दोनो मौतबिर अन्य ग्राम खेतोलाई के निवासी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा झूठी तामिली रिपोर्ट के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

इसके अलावा एलआर एक्ट की धारा 111 व सपठित धारा 128 में लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपना निर्णय पारित करने के प्रावधानों का उल्लंगन किया गया है। अपीलाधीन आदेश सीमांकन रिपोर्ट के अभाव में पारित किया गया है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में सर्वे नक्शे यानि वक्त सेटलमेंट नक्शे के आधार पर सीमाज्ञान नही किया गया तथा न ही पडौसियों के हस्ताक्षर है, जबकि धारा 111 में सर्वे नक्शे के अनुसार भूमि की सीमाओं का सीमाज्ञान करने के स्पष्ट प्रावधान है। अतः अपील स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड/नक्शे/मौके का अवलोकन किए बिना एवं सीमाकंन हेतु पडौसी खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

वकील अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में विभिन्न न्यायिक दृष्टांत RRD Jan, 2004 Page no. 9-12, 2023 RBJ 55 Page no. 55-59, 2023 RBJ 21 Page no. 21-23, RRD 14.5.2017 Page no 43-48, RRT 2023(1) Page no. 1-3, RRD 1984 Page no. 111-118, RRT 2007(1) Page no. 125-27, RRD July, 2000 Page no. 263-64, RRD Oct, 2000 Page no.444-45, RRD 1999 Page no. 214-17, RRT 2018(1) Page no. 218-20, RBJ (5) 1998 Page no. 499-500 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

जवाब में रेस्पो0 सं0 1 व 2–प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि ग्राम विरमदेवरा स्थित उल्लेखित खसरान की भूमि की पैमाईश करवाने हेतु उनके द्वारा दिनांक 14.1.22 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार पोकरण के आदेश क्रमांक 2216111209 दिनांक 18.1.22 की पालना में सीमाज्ञान की कार्यवाही हेतु उनके द्वारा नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमा करवाया गया। तत्पश्चात हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 16.2.22 को उल्लेखित खसरान की पैमाईश, पड़ौसी खातेदारों की मौजूदगी में की जाकर सीमाज्ञान करवाया गया। परंतु अपीलांट–अप्रार्थी सं0 1 का खेत ख0नं0 2/143 व 9 पडौस में स्थित होने से वह सीमाज्ञान को स्वीकार नही कर, जानबूझ कर प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है एवं खेतों के सीमा चिन्ह को हटा दिया। हमारे खेत के चारो ओर लगी छीणों को भी हटाने की कोशिश की गई। इसलिए रेस्पो0 सं0 1 व 2–प्रार्थीगण अपने खेत खसरान की पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अन्य सभी पडौसी खातेदारों ने उल्लेखित खसरान के सीमाज्ञान को सही स्वीकार किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार पोकरण को मौके पर सीमाज्ञान व कब्जा अनुसार पत्थर गढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराने हेतु आग्रह किया गया। उक्त प्रा0प0 दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 से 8 सम्यक तामिल के बावजूद उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल लायी गई। प्रकरण में तहसीलदार पोकरण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उल्लेखित खसरान की भूमि अप्रार्थी सं0 सं0 1 व 2–प्रार्थीण की संयुक्त खातेदारी/खातेदारी

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। दिनांक 16.2.22 को तत्का0 हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया था, परंतु पडौसी खातेदार सीमाज्ञान को नही मान रहे है। उक्त खसरों की सीमाज्ञान रिपोर्ट अपीलांट–अप्रार्थी सं0 1 नही मान रहे है। रेस्पो0 सं0 1 व 2–प्रार्थीगण के उक्त खसरे रहन नही है, परंतु अपीलांट–अप्रार्थी सं0 1 की भूमि रहन एसबीआई रेकर्ड में इन्द्राज है। तदउपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेस अवलोकन, अपने विवेचन में यह स्पष्ट किया कि ''रेस्पो0सं0 1 व 2–प्रार्थीगण तथा अपीलांट–अप्रार्थी सं0 1 की आराजी की सीमा परस्पर लगती हुई है। प्रत्येक खातेदार का यह विधिक अधिकार है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो, वह इस हेतु सीमांकन करवा सके एवं सीमाओं पर सीमा चिन्ह लगा सके, ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों को स्वतंत्रता से उपयोग उपभोग कर सके। पटवारी की मौका फर्द दिनांक 16.2.22, वकील फहरिस्त दस्तावेज फार्म नं0 3 के संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार पोकरण के जवाब से प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण के खातेदारी आराजी की सीमा में विवाद प्रतीत है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के खण्डन हेतु कोई सारवान दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किए है।'' अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार पोकरण को रेस्पो0 सं0 1 व 2–प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी करवाये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जो विधि अनुकूल होने से अपील अपीलांट खारीज फरमाने व अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो सं0 3, 4 व 6 से 8 के योग्य अधिवक्ता एवं रेस्पो0 सं0 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि रेस्पा0 सं0 1 व 2–प्रार्थीगण–किशनाराम एवं रामनारायण के

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

आवेदन पर तहसीलदार पोकरण के आदेशानुसार मौके पर ग्राम विरमदेवरा के खसरा नम्बर 2/5, 2/6, 244/2, 245/2, 247/2 एवं 248/2, कुल खसरा 06 कुल रकबा 7.7863 हैक्टेयर की पैमाईश/सीमाज्ञान उपरांत अपीलांट्स एवं रेस्पो0सं0 1 व 2 के मध्य सीमा संबंधी विवाद के कारण सीमांकन/नेखमबंदी की कार्यवाही नही की जा सकी। सीमाज्ञान रिपोर्ट में जेतमालसिंह पुत्र अजबसिंह के हस्ताक्षर है तथा इस फर्द में उल्लेखित है कि ''सीमाज्ञान करने पर पाया गया कि खसरा नं0 9 व 2/143 में खसरा नं0 2/6, 247/2, 248/2 की भूमि आ रही है व मौके पर ख0नं0 9 व 2/143 के खातेदारान का कब्जा किया गया है''। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार पोकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट कमांक 909 दिनांक 31.05.2022 के बिन्दु सं0 3 के अनुसार ''उक्त खसरों की सीमाज्ञान रिपोर्ट में अप्रार्थी सं0 1 अजबसिंह (अपीलांट) पड़ौसी खेत खसरा नं0 2/143 व ख0नं0 9 दर्ज है, जो कि सीमाज्ञान को नही मान रहा है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट–अजबसिंह को रेस्पो0 सं0 1 व 2 के खेत खसरान के सीमांकन की जानकारी पूर्व से होने के उपरांत उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु कोई कार्यवाही/उपस्थिति स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत नही की गई।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 एम 88/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10/7/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

10/7/23

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर